न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 128/2018 **दायरा दिनांक : 07.08.2018**

उनवान

प्रभूलाल पिता माधु लाल, उम्र 64 वर्ष, जाति मेहर, निवासी दुधालिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

सीता बाई पत्नी भगवान लाल, उम्र 50 वर्ष, जाति मेहर, निवासी दुधालिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री विनोद व्यास अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 90/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रार्थी नम्बर 1/वादी द्वारा एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 11.06.2018 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रतिप्रार्थी नम्बर 1/वादी की एक तरफा बहस सुनकर उसी दिनांक को एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की

जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय एवं डिक्री पत्र संग्रहसार एवं कानून, प्राकृति न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपस्थित दस्तावेजों का उचित मूल्यांकन करने में बहुत बडी भूल की है । अपीलार्थीगण को सूचना की तामील नहीं होने से अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध तामील पूर्ण होना मानकर अपीलार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाकर एक तरफा निर्णय एवं डिक्री जारी कर भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिनांक को अपीलार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर उसी दिनांक को निर्णय एवं डिक्री जारी किये जाने से अपीलार्थी को एक तरफा कार्यवाही को पुनः खुलवाये जाने का तथा अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने का यथोचित कानूनी समय प्राप्त नहीं हो सका, जिससे अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर नहीं मिलने से निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी को पूर्व खातेदार से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया था तथा वादग्रस्त आराजी से लगवा आराजी अपीलार्थी की पत्नी सूरजबाई पत्नी प्रभूलाल के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी द्वारा मकान का निर्माण कर रखा है जिस प रवह अपने परिवार के सदस्यों के साथ निवास कर रहा है । प्रतिप्रार्थी अध्कीनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आकर गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत कर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की है जो काबिले खारिज है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली का अध्ययन कर व बहस विद्वान अधिवक्ता के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय यह निर्णय पारित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं पैमाईश करवा कर मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 अपास्त की जाती है । तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं मौके पर पैमाईश करवा कर मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षकारों को सुनकर डिक्री पारित की जावे । यह पूरी प्रक्रिया अधिकतम 3 माह के समय में पूरी की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा